रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 161] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 1972/चैत्र 2, 1894

No. 161] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 1972/CHAITRA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 1972

S.O.224(E).—In pursuance of section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State or, as the case may be, the members of the electoral college of the Union territory, specified in column 1 of the table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and the rules and orders made thereunder, the number of members specified against that State or Union territory in column 2 of the said table for filling the seats of members of the Council of States retiring on the 2nd April, 1972, on the expiration of their term of office, including the seat of a member representing the State of Bihar who has resigned and who but for such resignation would have retired on 2nd April, 1972, and the seats of two members representing the State of Gujarat who have died and who but for such death would have retired on 2nd April, 1972:—

TABLE

Name of State/Union territory.	Number of seats to be filled
1	2
1. Andhra Pradesh	6
2. Assam	3
3. Bihar	7

1	2
4. Gujarat	4
5. Haryana	2
6. Himachal Pradesh	
7. Madhya Pradesh	5
8. Manipur	1
9. Mysore	4
10. Punjab	2
11. Rajasthan	3
12. West Bengal	5
13. Delhi	1

[No. F. 13(4)/72-Leg. II.]

N. D. P. NAMBOODIRIPAD, Joint Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1972

का०आ० 224(अ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में राष्ट्रपति निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों या यथास्थिति संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचकगणों को, 2 अप्रैल, 1972 को निवृत्त होने वाले राज्य सभा के सदस्यों की पदावधि समाप्त होने पर उनके स्थान भरने के लिए इनमें सदस्यों को जो उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हैं, और जिनके अन्तर्गत बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले उस सदस्य का स्थान भी है, जिसने पदत्याग किया है और जो इस प्रकार पद त्याग न करने पर 2 अप्रैल, 1972 को अन्यथा निवृत्त हुआ होता और गुजरात राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले उन दो सदस्यों के स्थान भी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है और मृत्यु न होने पर जो 2 अप्रैल, 1972 को अन्यथा निवृत्त हुए होते, उक्त अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बने नियमों और आदेशों के अनुसरण में निर्वाचित करने के लिए समाहूत करते है :—

सारणी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	भरे जाने वाले स्थानो की संख्या
1	2
1—आंध्र प्रदेश	6
2—आसाम	3
3—बिहार	7

1	2
4—गुजरात	4
5—हरियाणा	2
6—हिमाचल प्रदेश	1
7—मध्य प्रदेश	5
8—मणिपुर	1
9—मैसूर	4
10—पंजाब	2
11—राजस्थान	3
12—पश्चिम बंगाल	5
13—दिल्ली	1

[सं० एफ० 13(4)/72-विधा० II]

एन० डी० पी० नाम्बूदिरीपाद, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972